



42

समक्ष अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प भोपाल म.प्र.

PBR/निगरानी भोपाल 12/21/2017/2031 निगरानी प्रकरण क. ....

मनीराम रघुवंशी आ० श्री रामकिशन रघुवंशी

आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी-म.नं. 6/122,  
एकतापुरी, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, सेमरा कला  
वार्ड नंबर 38 थाना अशोका गार्डन तहसील  
गोविन्दपुरा वृत्त, भोपाल म.प्र.

निगरानीकर्ता

विरुद्ध

22/5/21  
27/6/17  
म.प्र.  
10/10/17

(1) म.प्र. शासन

(2) ~~धायक वृत्त निगरानी~~ महोदय, ~~कृष्णापुराणा~~  
~~म.प्र. शा. जिला भोपाल म.प्र.~~ ~~गोविन्दपुरा वृत्त निगरानी~~ अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्ता की ओर से माननीय अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय पीठासीन अधिकारी (श्री सुधाकर तिवारी) द्वारा प्रकरण क्रमांक 22/ए-68/2016-17 पक्षकार शासन विरुद्ध मनीराम में पारित आदेश दिनांक 31.05.2017 से व्यथित होकर निम्न वैधानिक तथ्यों एवं आधारों पर निगरानी प्रस्तुत है:-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निग./भोपाल/भू.रा./2017/2031

जिला भोपाल


स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों  
आदि के हस्ताक्षर

11-7-2017

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 31-5-2017 का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक की ओर से सीमांकन के संबंध में प्रस्तुत आपत्ति इस निष्कर्ष के साथ निरस्त की गई है कि पूर्व में किया गया सीमांकन वरिष्ठ कार्यालय के आदेशानुसार गठित टीम द्वारा किया गया है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही है। वैसे भी यह अतिक्रमण का प्रकरण है। सीमांकन की कार्यवाही पृथक कार्यवाही है, जिसे आवेदक पृथक से चुनौती दे सकता है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।



  
अध्यक्ष